भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1835

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति

1835. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल श्रमबल में से असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों का कुल प्रतिशत कितना है;
(ख) असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) राजस्थान सहित देश के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उक्त योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार के साथ जुड़ा असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (**eshram.gov.in)** आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है। दिनांक 05 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 30.59 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है।

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई), जो वर्ष 2007 में गरीबी रेखा के नीचे या आंशिक रूप से कुछ ऊपर जीवन-यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों को जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान करने के लिए देश के 47 पहचान किए गए उद्यमों/व्यवसायों में शुरू की गई थी, और दिनांक 01.06.2017 से इसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में मिला दिए गया था। चूंकि दिनांक 01.06.2017 से एएबीवाई को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है, इसलिए एएबीवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा आगे धनराशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है।

****